

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/

दिनांक: 10 जून, 2025

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अस्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ललित गुप्ता	दृष्टिमिति	प्रि०स्वा०के०, दृ०गढ़वा, पौड़ी गढ़वाल।	प्रि०स्वा०के०, पौखड़ा, पौड़ी गढ़वाल।	जनहित

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयवावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजीका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कांमिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निगमन आदि की कार्यावाही की जा सकती है।
- दृर्म क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कांमिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यावाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का बेतन सम्बन्धित कांमिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16305 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामीडिकल)

N

(सुनीता टप्पा)
प्रभारी महानिदेशक।

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/

दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 1977 में 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समूख अधिकतम कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महेश सिंह	दृष्टिमिति	साम.स्वा.कन्द, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकि., हल्द्वानी, नैनीताल।	निजी अनुप्रेष

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रसार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निधारित समयावधि में अवसृत न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठ पालिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुक्रम दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कांमिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सुनीता टन्डा)

प्रमोदी महानिदेशक।

तद्विनिक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक(प्रशासिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/

दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 282747/XX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या: 9289938/XX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सन 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संघर्ष के पदधारक को उनके नाम के समुख अधिकृत कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीपक कुमार टम्हा	दृष्टिमिति	जिला चिकित्सक अल्मोड़ा।	सामुख अल्मोड़ा, हवालबाग, अल्मोड़ा।	जनहित

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराते जाये। निम्नलिखित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठ पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कांमिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यावाही की जायेगी।
- वर्तमान क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कांमिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध निलम्बन आदि की कार्यावाही की जा सकती है।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कांमिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16307 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सक अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाइल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/ दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अमित सक्सेना	दृष्टिमिति	प्र10स्वा0केन्द, डोडाभंडी, पौड़ी।	जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।	जनाहित

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवसुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजीका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुक्रम दण्डान्तक कार्यावाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कांमिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यावाही की जा सकती है।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कांमिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16311 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/उधम सिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उधम सिंह नगर।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

(अमित कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: - 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025 / दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सन 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समुच्च अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कालि कुमार मारडाज	दृष्टिमिति	सामुस्वा10कन्द, हवालबाग, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकित्सा कार्यालय, उधम सिंह नगर।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवसृत न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठ पंक्ति में तदनुसार प्रतिष्ठा कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निगमन आदि की कार्यावाही की जा सकती है।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या: - 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025 /1634 तददिनांक।
प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ, मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/उधम सिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/उधम सिंह नगर।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: - 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025 दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सन 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नवीन चन्द पाण्डे	दृष्टिमिति	ग्रामोखाकन्द, ता.कुला, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकित्सा रामनगर, नैनीताल।	जनहित

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यालय से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रसार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पंजीका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कांमिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निम्न आदि की कार्रवाही की जा सकती है।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कांमिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या: - 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16323 तददिनांक।

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई काईल।

(आजल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025 दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या: 1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समुच्च आंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शैलेंद्र कुमार सिंह	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	सामु0स्वा0केन्द्र, अमरसतमूनि, ऊदप्रयाग।	सामु0स्वा0केन्द्र, मगवानपुर, हरिद्वार।	जानहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वारिज पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दवाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निगमन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16321 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊदप्रयाग/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कर्षाधिकारी, ऊदप्रयाग/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियुक्त अधिकारी।
- गाई फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामीडिकल)

पत्र संख्या:- 34/पैसा/दृष्टिमिति/10/2025/ दिनांक: 10 जून, 2025

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गाँव स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति सवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समुच्च अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जय प्रकाश वर्मा	दृष्टिमिति	ग्रीवो नदवाला पोखड़ा, ग्रीवो नदवाला	मण्डलीय नैत्र सचल इकाई, ग्रीवो (उप जिला चिकित्सा, श्रीनगर, ग्रीवो नदवाला)	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठ पंक्ति में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कांमिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

पत्र संख्या:- 34/पैसा/दृष्टिमिति/10/2025/16327 तददिनांक।
प्रतिकृति:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रीवो नदवाला, ग्रीवो।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ग्रीवो।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ग्रीवो।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, श्रीनगर, ग्रीवो।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: - 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/ दिनांक: 10 जून, 2025

—:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समूख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र04 कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5
1.	श्री नरेंद्र कुमार	दृष्टिमिति	सामु0स्वा0केन्द्र, जोशीमठ, यमोती।	सामु0स्वा0केन्द्र, रिखणीखाल, निजी अनुरोध
1	2	3	4	5
6				

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाहि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

पत्र संख्या: - 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16317 तददिनांक।
प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यमोती/पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, यमोती/पौड़ी।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गाई फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025

दिनांक: 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(13)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अस्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विपिन सिंह	दृष्टिमिति	नेत्र सचल इकाई, नैनीताल।	नेत्र सचल इकाई, उधम सिंह निजी अस्पताल	

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निधारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठ पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्ग दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कांमिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16315 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कमांक मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर/नैनीताल।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

N

(सुनीता टम्ह)
प्रभारी महानिदेशक।

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/

दिनांक: जून, 2025

—आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXV(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: -282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या: -1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समूख ऑफिस कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	14	5	6
1.	श्री जसवीर सिंह	दृष्टिमिति	सामुदायिक, गदरपुर, उधम सिंह नगर।	ग्रामोस्वाकेन्द्र, डा.डा.मंडी, पौड़ी।	जनाहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्मिक से मुक्त/मुहल कराले हेतु प्रसार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्ग दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाले पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निम्न आदि की कार्रवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यालय गृहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

तददिनांक।

पत्र संख्या: 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16309

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/उधम सिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक)

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/1 दिनांक: 10 जून, 2025

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

—:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सन 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के समूह अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री देवेश्वर प्रसाद सेमवाल	दृष्टिमिति	सामु.स्वा.केन्द्र, नारसैन, हरिद्वार।	प्रा.स्वा.केन्द्र, नंदगाव, टिहरी	निजी अर्ज
2		3	4	5	6

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

पत्र संख्या:- 34/पैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16313 तद्विनोक।

प्रातिनिध:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(पैरामेडिकल)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 34/धैरा/दृष्टिमिति/10/2025/

दिनांक: 10 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018, कांमिक एवं सतकर्ता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या:-1/9289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमिति संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अधिकृत कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कांमिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल कुमार टन्टा	वरिष्ठ दृष्टिमिति	नेत्र सचल डेकाई	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून (दुर्गम क्षेत्र हेतु)	जनहित

- सम्बन्धित कांमिक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हेतु प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवसृत न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठ पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कांमिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कांमिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाते पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निगमन आदि की कार्यावाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कांमिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यावाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कांमिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

पत्र संख्या:- 34/धैरा/दृष्टिमिति/10/2025/16303 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कांमिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गाई फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक(प्रशासनिक)

N

(सुनीता टन्टा)
प्रभारी महानिदेशक।